न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मृदुला शेखावत आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 31/2022
जीसीएमएस सं. – 2022/114

—:: वादीगण ::—

1. मदनलाल पुत्र सुखाराम जाति सरगरा निवासी मालावास
2. पूसी देवी पत्नि कानाराम जाति मेघवाल निवासी मालावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

—:: प्रतिवादीगण ::—

1. किशनाराम पुत्र ओगड़राम
2. नरपतराम पुत्र ओगड़राम
3. पारसराम पुत्र ओगड़राम
4. माणकराम पुत्र ओगड़राम
5. महेन्द्र पुत्र ओगड़राम
6. बेबी पुत्री ओगड़राम
7. गलूदेवी पत्नि ओगड़राम जातियान मेघवाल निवासीयान रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ।
8. गणपतराम पुत्र धूलाराम
9. पुखाराम पुत्र धूलाराम
10. रूघाराम पुत्र धूलाराम
11. चुतराराम पुत्र धूलाराम (लाओलाद फौत) सभी जातियान मेघवाल निवासीयान कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
12. मंगलाराम पुत्र लाबुराम
13. सुखाराम पुत्र लाबुराम
14. कमला पुत्री लाबुराम
15. छोटी पुत्री लाबुराम
16. सीता पत्नि लाबुराम जातियान मेघवाल निवासीयान कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
17. गणपतराम पुत्र हनुमानराम
18. श्रवणराम पुत्र हनुमानराम जातियान मेघवाल निवासीयान रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
19. बाबूलाल पुत्र पेमाराम
20. रामकिशोर पुत्र पेमाराम
21. जितेन्द्र पुत्र पेमाराम
22. तारा पुत्री पेमाराम
23. रोशनी पुत्री पेमाराम
24. पूनकी पत्नि पेमाराम जातियान मेघवाल निवासीयान कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
25. धापू पुत्री खेताराम
26. पपू पुत्री खेताराम जातियान

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

मेघवाल निवासी रणसीगांव
तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।

27. शांति पत्नि सुखराम जाति मेघवाल निवासी कोसाणा

28. सुगनाराम पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी कोसाणा

29. हेमाराम पुत्र रताराम जाति मेघवाल निवासी कोसाणा (फौत)
29/1 सहीराम पुत्र हेमाराम
29/2 परमा पुत्री हेमाराम
29/3 पिस्ता पुत्री हेमाराम
29/4 बाबूड़ी पुत्री हेमाराम
29/5 पुकली पत्नि हेमाराम
जातियान मेघवाल निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

30. हीराराम पुत्र रतनाराम (फौत) के कायम मुकाम :-
30/1 बगदाराम पुत्र हीराराम
30/2 श्रवण पुत्र हीराराम
30/3 सोनीदेवी पत्नि हीराराम
जातियान मेघवाल निवासीयान रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

31. सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :-

1. श्री बक्तावरसिंह जाखड़, अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक : 21.05.2025

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मालावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. एक से तीन की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 324 रकबा 6.3668 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई है जिसको आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम सम्बोधित किया जायेगा। वाद पत्र के पद सं. एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं. एक से तीन की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसमें वादी मदनलाल का 1/48 वां हिस्सा व वादीनी पुसीदेवी का 1/12 वां हिस्सा है माफिक हक हिस्सानुसार वादीगण प्रतिवादी सं. एक से तीन के साथ संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । वादग्रस्त आरजी हुआ नही है । पक्षकारान अपनी सुविधानुसार माफिक हक व हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण वादग्रस्त आराजी पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

काबिज होकर काश्त करते आ रहै हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में कई बार दखलन्दाजी पैदा की इस पर वादीगणए ने वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार माफिक हिस्सानुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण टाल मटोल करते आ रहे है तथा दिनांक 10.04.2022 को प्रतिवादीगण अपने साथ अजनबी लोगो को लेकर आये तथा वादग्रस्त आराजी बेचान करने की गरज से दिखाने लगे इस पर वादीगण ने मना किया कि अभी तक वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नही है इसलिए पहले बंटवाड़ा करवा लो तथा इसके पश्चात् प्रवितादीगण अपने अपने बंट हिस्सा की जमीन बेचान कर देना, इस पर प्रतिवादीगण वादीगण से नाराज हो गये तथा वादीगण को ऐलानिया रूप से धमकी दी कि हम वादग्रस्त अविभाजित आराजी को बेचान कर देगे तथा वादीगण को बेदखल कर देगे जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं। जिसके लिए वादीगण को उक्त वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा हैं। बिनाय दावा वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण वाद में वर्णित तथ्यो परिस्थितियों की वजह से तथा दिनांक 10.04.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा अविभाजित आराजी को बेचान कर खुर्द बुर्द करने एवं वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम मालावास में पैदा हुआ व आज भी हो रहा हैं। इस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है कि वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम मालावास की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 6.3668 हैक्टयर भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य माफिक हक हिस्सानुसार माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा की डिकी सादिर फरमावें । वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम मालावास की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 6.3668 हैक्टयर भूमि के वादी मदनलाल के 1/48 वां हिस्सा, वादी पूसीदेवी के 1/12 वां हक हिस्सा कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी पैदा नही करें न किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित वादीगण हो वादीगण क हक में अता फरमावें।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादीगण ने वादी साक्ष्य मदनलाल, नारायणसिंह के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये । वकील वादीगण की ओर से और साक्ष्य शपथ पत्र पेश नही किये जाने पर वादी साक्ष्य बंद की गयी । प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी हैं। वकील वादीगण ने वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राथमिक डिकी की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु निवेदन किये जाने पर तहसीलदार पीपाड़ शहर को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार आरएलआरआर 1957 के नियम 18 से 22 अनुसार प्राथमिक डिकी की पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गयी ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राथमिक डिकी की पालना रिपोर्ट बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर वकील वादीगण को कोई आपति नही है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीपाड़ शहर से निर्णय दिनांक 01.04.2024 की पालना में

बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआं। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर वकील वादीगण को कोई आपति नही हैं। उक्त प्राथमिक डिकी को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता हैं। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त डिकी के भाग रहेगे। अन्तिम डिकी पृथक से जारी होकर संलग्न पत्रावली हो ।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ए इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **श्रीमती मृदुला शेखावत R.A.S.**

मदनलाल वगैरा बनाम किशनाराम वगैरा

राजस्व मूल वाद संख्या **31/2022**

दावा बाबत 53,188 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **बक्तावरसिंह जाखड़** मनजानिब मुदई वकील .... मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मालावास के खसरा नम्बर 324 रकबा 6.3668 में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार रहेगा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय व डिकी के भाग रहेगे। तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में आवश्यक कार्यवाही करें। इस आशय की अन्तिम डिकी पर्चा जारी किया जाता हैं।**

लीज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.............................शून्य..................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य...................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.05.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.............

ओहदा...........

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदंई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान..........			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान........		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)